

आदेश

राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आग की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। संज्ञान में आया है कि अधिकतर अग्नि दुर्घटनाएँ ऐसे भवन परिसर में हुई हैं, जिनकी फायर एनओसी नहीं ली गई है। दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही आग की घटनाओं को देखते हुए जन-धन की सुरक्षा एवं आग की दुर्घटनाओं पर काबू पाने की दृष्टि से जो भवन निर्माण बिना स्वीकृति या निर्धारित नियमों की पालना के बिना भी किये गये हैं, तथा ऐसी गतिविधि जो किसी भवन अथवा भवन के भाग में चल रहे हैं, उस भवन अथवा भवन के भाग में संबंधित वर्तमान गतिविधि के अनुसार अग्निशमन के प्रावधान एवं अग्निशमन उपकरणों के अभाव में संचालित हैं, ऐसे भवनों में भी आग लगने की संभावना रहती है। अतः ऐसे भवनों एवं भवन के भाग में संचालित गतिविधियों के अनुसार जन-धन की अग्निशमन दृष्टि से सुरक्षा हेतु फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र/फायर एनओसी लिया जानेकी अनिवार्यता महसूस की जा रही है।

अतएव, राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.वी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 एवं सपठित धारा 225 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र/फायरएनओसी लिया जाने का प्रावधान निम्नानुसार करती है:-

1. "अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे अनुमोदित/ गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर/भवन परिसर का भाग जिनका उपयोगतालिका 1 में उल्लेखित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है को फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। नगरीय निकायों में पदस्थापित अग्निशमन अधिकारी यथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक अग्निशमन अधिकारी जिन्हे निरीक्षण की शक्तियां प्रदत्त की गई हो, वे ऐसे निर्मित भवनों को समय-समय पर निरीक्षण कर सकेंगे। सक्षम अधिकारी (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी धारा 194 (7) (एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करने (सीज) के लिए अधिकृत होंगे।"
2. अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित, अनुमोदित अथवा गैर अनुमोदित/अनाधिकृत निर्माण जिनका उपयोग तालिका-1 में उल्लेखित गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, ऐसी गतिविधियों/परिसर हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अध्याय "Fire and Life Safety" में वर्णित अग्निशमन उपकरणों/तकनीकी पैरामीटर्स (Table-7 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations) यथा Fire Extinguisher, Hose Reel, Wet Risers, Down Comer, Yard hydrants, Smoke Detector, Automatic Sprinkler system, Automatic Detection and Alarm System, Under ground storage tank etc. (संलग्नक-"अ") की सुनिश्चिता हेतु फायर एनओसी जारी करने के लिए सक्षम अधिकारीसे फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र/फायर एनओसी लिया जाना आवश्यक है:-

"तालिका-1"

क्र. सं.	भवनों की प्रकृति	गतिविधियां एवं कार्य संगत	विवरण
1.	आवासीय	छात्रावास, पीजी (पेइंग गेस्ट)	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक तथा जिनका सकल क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		गैस्ट हाउस, धर्मशाला	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		पलेट्स/ स्टूडियो अपार्टमेंट/ सर्विस अपार्टमेंट	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक तथा जिनका सकल क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		अन्य समस्त प्रकृति के आवासीय प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है।
2.	वाणिज्यिक	पण्डाल (स्थायी/अस्थायी)	जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या अधिक है अथवा 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल है।
		होटल,	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		रेस्टोरेन्ट, बार, रिसोर्ट एवं मोटल	जिनकी क्षमता 20 व्यक्ति या इससे अधिक हो।
		रूफटॉप रेस्टोरेन्ट	समस्त प्रकार के रूफटॉप रेस्टोरेन्ट।
		समस्त सभागार भवन	जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति या इससे अधिक है एवं जिनका उपयोग मनोरंजक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, सिविल एवं यात्रा इत्यादि हेतु एकत्रित या सभा हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे कि थियेटर, चलचित्र, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थल, शादी/समारोह स्थल (मैरिज गार्डन) म्यूजियम, जिम्नेजियम, डांस क्लब, क्लब, एयरपोर्ट, यात्री स्टेशन, स्टेडियम इत्यादि।
		व्यावसायिक व्यापारिक (Mercantile & Business) एवं	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन/गैस फिलिंग स्टेशन/अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टोरेज इकाई एवं	समस्त।

		समस्त हैज़ार्डस बिल्डिंग (जैसा कि एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या 2.28 में परिभाषित है)।	
		स्टोरेज बिल्डिंग	सभी तलो को मिलाकर क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर से अधिक हो।
		अन्य समस्त प्रकृति के व्यावसायिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है।
3.	संस्थानिक	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/कोचिंग सेंटर एवं प्रशिक्षण संस्थान।	समस्त।
		शैक्षणिक संस्थान	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक हो एवं जिसका किसी भी तल पर कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
		सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय भवन	जिनकी ऊँचाई 6 मीटर से अधिक तथा जिनमें न्यूनतम 50 व्यक्ति कार्यरत है।
		अन्य समस्त प्रकृति के संस्थानिक प्रस्तावित/निर्मित भवन	जिनकी ऊँचाई 9 मीटर या इससे अधिक है अथवा किसी भी तल पर कुल निर्माण अथवा सकल निर्माण क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है।
4.	मिश्रित उपयोग	मिश्रित उपयोग के भूखण्ड अथवा वाणिज्यिक भूखण्ड पर मिश्रित उपयोग यथा वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत, होटल, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय, एन्टरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स एक से अधिक उपयोग सम्मिलित रूप से अथवा एकल उपयोग के रूप में अनुज्ञेय होंगे।	उपरोक्त क्रम सं. 2 व 3 में वर्णित वाणिज्यिक एवं संस्थागत अनुसार।
		5.	औद्योगिक
6.	विशेष	एकीकृत भवन विनियम-2017 की अनुसूची 1 अनुसार	समस्त।

	प्रकृति/हैजार्डस	विशेष प्रकृति के भवन तथा बिन्दु संख्या 2.28 अनुसार हैजार्डस भवन।
7.	अन्य बिन्दु:- <ul style="list-style-type: none"> अण्डर ग्राउण्ड स्ट्रक्चर्स/बेसमेंट जिनमें किसी प्रकार की गैर आवासीय गतिविधि संचालित हो जिसका कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो। 	

3. सामान्य निर्देश :-

- कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविद अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित विषय- विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी परीक्षण एवं भवन का निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा की रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे।
- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं पाये जाने पर या समुचित अग्निशमन यंत्र नहीं पाये जाने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- फायर एनओसी जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नगर निगम/ परिषद/ पालिका क्षेत्र के साथ-साथ यू.आई.टी./ विकास प्राधिकरण/ आवासन मण्डल क्षेत्र तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भी उपरोक्त गतिविधियों के लिए अग्निशमन उपकरणों की सुनिश्चितापरान्त फायर एनओसी जारी की जा सकेगी।
- अग्निशमन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा गठित फायर एक्सपर्ट का पैनल द्वारा समय-समय पर अग्निशमन सुविधाओं की जाँच व Mock Drill करवाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- नगरीय निकाय के सेफ्टी प्रमाण-पत्र/फायर एनओसी के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर दो वर्ष के लिए जारी कर सकेगी।
- एनओसी जारी होने के एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व संबंधित परिसर का निरीक्षण किया जायेगा।
- निरीक्षण में यदि समुचित फायर उपकरण चालू हालत में नहीं पाये जाते हैं तो संबंधित परिसर के अधिभोगी को नोटिस जारी कर नोटिस की पालना कराई जायेगी, तथा पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार नवीनीकरण फायर एनओसी जारी की जायेगी।
- मुख्य अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण कर सकेंगे तथा समुचित फायर उपकरण चालू हालत में नहीं पाये जाने पर संबंधित परिसर के अधिभोगी को नोटिस जारी कर पाबंद करेंगे। संबंधित परिसर के अधिभोगी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियमधारा 194 (7)(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अनुमोदित/गैर अनुमोदित निर्मित भवन/परिसर का उपयोग प्रतिषिद्ध करने (सीज) कार्यवाही की जायेगी।
- यह अग्निशमन अनापत्ति पत्र केवल मात्र संदर्भित सम्पत्ति के अग्निशमन की दृष्टि से सुरक्षित किये जाने हेतु निर्देश होंगे। जिसमें उल्लेखित शर्तों/प्रक्रिया के पालन हेतु

भूस्वामी एवं विकासकर्ता बाध्य रहेंगे। अग्निशमन अनापत्ति केवल भवन या परिसर के उपयोगकर्ता के पक्ष में ही जारी की जावेगी।

- अग्निशमन अनापत्ति जारी होने पर किसी भी निर्मित भवन/परिसर या भूमि को नियमन के लिए अनुमोदित अथवा स्वामित्व का प्रमाण या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन नहीं माना जावेगा। तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. शुल्क:-

नगरीय क्षेत्र में बहुमंजिला भवनों एवं अन्य भवनों जिनमें अग्निशमन की अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य है उनमें कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर नियमानुसार देय अन्य शुल्क के अतिरिक्त "तालिका-2" के अनुसार अग्निशमन शुल्क (फायरसेस) देय होगा-

"तालिका-2"

क्र.स.	प्रस्तावित भवन की ऊँचाई	देय शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
1.	15 मीटर ऊँचाई तक	रु. 50/- प्रति वर्गमीटर
2.	15 मीटर से अधिक परन्तु 40 मीटर ऊँचाई तक	रु. 100/- प्रति वर्गमीटर
3.	40 मीटर से अधिक परन्तु 60 मीटर ऊँचाई तक	<ul style="list-style-type: none"> • रु. 100/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) • रु. 150/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक)
4.	60 मीटर से अधिक	<ul style="list-style-type: none"> • रु. 100/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर ऊँचाई तक) • रु. 150/- प्रति वर्गमीटर (40 मीटर से अधिक 60 मीटर ऊँचाई तक) • रु. 200/- प्रति वर्गमीटर (60 मीटर से अधिक ऊँचाई पर)

उक्त राशि आवेदक द्वारा फायर सैस हेतु खोले गये राज्यस्तरीय बैंक खाते में करायी जावेगी एवं निर्माण अनुज्ञा जारी करने वाले प्राधिकरण/न्यास में जमा राशि की रसीद प्रस्तुत की जावेगी। स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास को इस प्रयोजनार्थ खोले गये एक्सिस बैंक खाता संख्या 919010091350994 ब्रांच सी-स्कीम जयपुर आईएफएससी कोड UTIB0CCH274 में जमा करवाई जावेगी। उक्त राशि का उपयोगराज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य के किसी भी शहर में अग्निशमन

उपकरण, प्रशिक्षण, मौकड्रिल इत्यादि में उपयोग किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि किसी भी शहर में उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत कर सकेगी। पूर्व में इस सम्बन्ध परिपत्र क्रमांक 6413-6623 दिनांक 23.12.19 जारी किया गया था। जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

3-5
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग।

क्रमांक: प. 17(7) नविनि/निधम/2020

दिनांक 21 JAN 2020

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
10. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
11. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
12. आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
13. प्रोग्रामर नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)

(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-एफ29()फायर/विविध/डीएलबी/19/6413-66 23 दिनांक 23/12/19

- (1) आयुक्त
विकास प्राधिकरण
जयपुर, जोधपुर, कोटा
- (2) आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी
नगर निगम, परिषद, पालिकाएँ
समस्त राजस्थान
- (3) सचिव
नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान

विषय:- अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) की राशि जमा कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एकीकृत भवन विनियम 2017 के नियम 7.2 के तहत प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 18.06.2019 के क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.18(12)नविवि/जयपुर/2018 दिनांक 31.07.2019 के अनुसार अग्निशमन शुल्क (फायरसैस) के संबंध में लिये गये निर्णय/अभिशांषा के क्रम में नगरीय निकायों/विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों में अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) के तहत नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ विकास न्यास स्तर पर जमा करवायी जाने वाली राशि के स्थान पर निर्देशानुसार निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के अधीन एक पृथक ब्याज सहित केन्द्रीकृत खाता Dedicated Account Axis Bank में खोला गया है। जिसके खाता संख्या 919010091350994 है। यह खाता निदेशक एवं संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा।

अतः आप अग्निशमन शुल्क (फायर सैस) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि उक्त खाते में जमा कराने का श्रम करारें। उपरोक्त केन्द्रीय कृत खाते में जमा राशि में से नगरीय निकायों की आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपकरणों की केन्द्रीकृत खरीद निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के स्तर से की जाकर संबंधित नगरीय निकायों को हस्तान्तरित की जावेगी।

(हृदेश कुमार)


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय
नगरीय विकास विभाग जयपुर

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

कमांक: एफ29()फायर/विविध/डीएलबी/19/6624-6631 दिनांक: 23/12/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार केन्द्रीकृत खाते में अग्निशमन शुल्क (फायर सेस) की राशि जमा कराने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के विकास प्राधिकरणों, विकास न्यासों को निर्देशित करे।
4. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
5. उप निदेशक (प्र0) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
6. महा प्रबंधक, Axix Bank राज0 जयपुर
7. अधिशाषी अभियंता (योत्रिक) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय देवल)

उप निदेशक (प्रशासन)

Table 7 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations
[Clauses 4.9(a), 4.9(c), 4.9(e), 5.1.1(a), 5.1.1(d), 5.1.2.1, 5.1.3(a), E-7, H-2(f) and Table 2]

s. no	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply		Pump Capacity	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (see Note 1)	Automatic Detection and Alarm System see Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank Over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/sqcm at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/sqcm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
RESIDENTIAL BUILDINGS (A)													
a)	Lodging and Rooming Houses (A-1) (see Note 3)												
1)	Less than 15 m.in height												
	i) Up to 15 rooms	R	NR	NR	NR	NR	R (see Note 4)	NR	NR	NR	5000 (see Note 5)	NR	NR
	ii) More than 15 and up to 30 rooms	R	R	NR	NR	NR	R (see Note 4)	NR	NR	NR	5000 (5000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
	iii) More than 30 rooms	R	R	NR	NR	NR	R (see Note 4)	R (see Note 7)	NR	NR	10000 (5000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
b)	One or two Family Private Dwellings (A-2) (see Note 3)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
c)	Dormitories (A-3) and Apartment Houses (A-4)												
1)	Less than 15 m.in height	R	R	NR	NR	NR	R (see Note 4)	NR	NR	NR	5000 (5000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
2)	15 m and above but not exceeding 35 m.in height	R	R	NR	R	NR	R (see Note 4)	R (see Note 8)	NR	NR	25000	NR	900

	Above 35 m but not exceeding 45 m in height	R	R	R	NR	NR	R (see Note 9)	R	NR	75000	5000	(see Note 10)	NR
4)	Above 45 min height but not exceeding 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	NR	150000	10000	(see Note 11)	NR
5)	Above 60 min height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200000	10000	(see Note 12 & Note 13)	NR
d)	Hotels (A-5)												
1)	Less than 15 min height												
	i) Floor area not exceeding 300 sqm on any of the floor	R	R	NR	NR	NR	R R (see Note 4)	R	NR	NR	500 (5000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
	ii) Floor area exceeding 300 sqm but not more 1000 sqm on any of the floor	R	R	R (see Note 7)	NR	NR	R (see Note 4)	R	R	10 000 for every 500 sqm floor area minimum of 50000 (see Note 7)	10000 (5000) (see Note 6)	(see Note 14 in case of Provision of wet riser	450 (450) (see Note 6)
	iii) Floor area exceeding 1000 sqm on any of the floor	R	R	R (see Note 15)	NR	R	R (see Note 1)	R	R	10000 (see Note 15)	10000 (see Note 4)	(see Note 15 and note 14)	NR
2)	15 m and above but not exceeding 30m	R	R	R	NR	R	R	R	R	150 000	20 000	(see Note 11)	NR
3)	Above 30 m.in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	20 000	(see Note 11)	NR
e)	Hotels (A-6)	R	R	R	NR	R	R	R	R	250 000	20 000	(see Note 12)	NR
EDUCATIONAL BUILDINGS (B) (see Note 16)													
1)	Less than 15 m in height												
	i) Ground plus one or more storeys	R	R	NR	NR	NR	R (see Note 4)	NR	NR	NR	10 000 (5 000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
2)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	NR	R	NR	R (see Note 4)	R	NR	NR	25 000	NR	900

	i) Up to 300 persons	R	R	NR	NR	NR	R (see Note 4)	R	NR	NR	10 000 (5 000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
	ii) More than 300 persons	R	R	NR	R	NR	R (see Note 4)	R	NR	NR	15 000 (5 000) (see Note 6)	NR	970 (450) (see Note 6)
2)	10 m and above but not exceeding 15 m in height	R	R	R	NR	R	R (see Note 4)	R	R	100000	5 000 (5 000) (see Note 6)	(see Note 10)	NR
3)	15 m and above but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	10000	(see Note 11)	NR
4)	24 m and above but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200000	20000	(see Note 11)	NR
ASSEMBLY BUILDINGS (D) (see Note 16)													
a)	Buildings (D-1 to D-5)												
i)	Less than 10m in height												
	i) Up to 300 persons	R	R	NR	R	NR	R (see Note 4)	R	NR	NR	20 000 (5 000) (see Note 6)	NR	450 (450) (see Note 6)
	ii) More than 300 persons	R	R	NR	R	NR	R (see Note 4)	R	NR	NR	25 000 (5 000) (see Note 6)	NR	900 (450) (see Note 6)
2)	Above 10 m but not exceeding 15 m in height	R	R	R	NR	NR	R (see Note 4)	R (see Note 1)	R	100000	5 000 (5 000) (see Note 6)	(see Note 10)	450 (450) (see Note 6)
3)	Above 15 m but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	10000	(see Note 10)	NR
4)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200000	20000	(see Note 11)	NR
b)	D-6	R	R	R	NR	R	R	R	R	200000	20000	(see Note 12)	NR
c)	D-7	For details see 6.4.4											
BUSINESS BUILDINGS (E)													
1)	Less than 10 m in height	R	R	NR	R	NR	R (See Note 4)	R	NR	NR	10000 (5000) (See Note 6)	NR	450 (450) (See Note 6)
2)	Above 10 m but not exceeding 15 m in height	R	R	R	NR	NR	R (See Note 4)	R	R	50000	5000 (5000) See Note 6)	(See Note 14)	450 (450) (See Note 6)

	Above 15 m and up to 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	100000	10000	(See Note 10)	NR
4)	Above 24 m and up to 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	20000	(See Note 11)	NR
5)	Above 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200000	20000	(See Note 12)	NR
MERCANTILE BUILDINGS (F)													
a)	F-1 and F-2 (See Note 16)												
1)	Less than 15 m in height												
	i) Ground plus one storey, with total of all floor area not exceeding 500 sqm	R	R	NR	NR	NR	R (See Note 4)	NR	NR	NF	5000 (5000) (See Note 6)	NR	450 (450) (See Note 6)
	ii) Ground plus one storey and total of all floor area exceeding 500 sqm	R	R	NR	R	NR	R (See Note 4)	R	NR	NR	20000 (5000) (See Note 6)	NR	900 (-150) (See Note 6)
	iii) More than ground plus one storey	R	R	NR	R	NR	R (See Note 4)	P	NR	NR	25000 (5000) (See Note 6)	NR	300 (150) (See Note 6)
2)	Above 15 m but not exceeding 24 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	100000	10000	(See Note 10)	NR
3)	Above 24 m but not exceeding 30 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200000	20000	(See Note 11)	NR
b)	Underground shopping complex (F-3)	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	10000	(See Note 11)	NR
INDUSTRIAL BUILDINGS (G) (See Note 17)													
a)	Low Hazard (G-1) (See Note 18)												
	i) Covered area up to 100 sqm	R	NR	NR	NR	NR	R (See Note 4)	NR	NR	NR	5000 (See Note 5)	NR	450 (See Note 5)
	ii) Covered area more than 100 sqm and up to 500 sqm	R	R	NR	R (See Note 8)	NR	R (See Note 4)	NR	NR	NR	20000 (5000) (See Note 6)	NR	450 (450) (See Note 6)
	iii) Covered area more than 500 sqm (for building height up to 15 m)	R	R	NR	R	NR	R (See Note 4)	R	NR	NR	20000 (5000) (See Note 6)	NR	450 (450) (See Note 6)
	iv) Covered area more than 500 sqm (for building height above 15 m)	R	R	R	NR	R	R (See Note 4)	R	R	75000	5000 (See Note 5)	(See Note 14)	NR

Moderate Hazard (G-2) (See Note 18)													
	i) Covered area up to 100 sqm	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	10000	NR	450
	ii) Covered area more than 100 sqm and up to 500 sqm	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	20000	NR	900
	iii) Covered area more than 500 sqm and up to 1000 sqm (for height up to 15 m)	R	R	NR	R	NR	R	R	R	NR	50000	NR	900
	iv) Covered area more than 500 sqm and up to 1000 sqm (for building height above 15 m)	R	R	R	NR	R	R	R	R	100000	10000	(See Note 14)	NR
	v) Covered area more than 1000 sqm	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	20000	(See Note 11)	NR
c) High Hazard (G-3) (See Note 19)													
	i) Covered area up to 50 sqm	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	10000	NR	900
	ii) Covered area more than 50 sqm and up to 150 sqm	R	R	NR	NR	NR	R	R	R	NR	25000	NR	900
	iii) Covered area more than 150 sqm and up to 300 sqm	R	R	R	NR	NR	R	R	R	50000	10000	(See Note 14)	NR
	iv) Covered area more than 300 sqm and up to 500 sqm	R	R	R	NR	R	R	R	R	100000	20000	(See Note 10)	NR
	v) Covered area more than 500 sqm	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	20000	(See Note 11)	NR
STORAGE BUILDINGS (H) (See Note 20)													
1)	Below 15 m in height and covered area less than 250 sqm	R	R	NR	NR	NR	R	NR	NR	NR	25000	NR	900
2)	Below 15 m in height and covered area more than 250 sqm												
	i) Ground floor only	P	R	R	NR	R	R	R	R	50000	10000	(See Note 14)	450
	ii) Ground plus one floor	R	R	R	NR	R	R	R	R	75000	10000	(See Note 10)	450
	iii) More than ground plus one floor	R	R	R	NR	R	R	R	R	100000	16000	(See Note 10)	450

Multi-Level Car Parking (MLCP)	R	R	R	NR	R	R	R	R	150000	10000	(See Note 11)	900
--------------------------------	---	---	---	----	---	---	---	---	--------	-------	---------------	-----

HAZARDOUS BUILDINGS (J) (See Note 20)

1) Up to 15 m in height												
i) Single Storey Building	R	R	R	NR	R	R	R	R	Minimum 240 min fire fighting requirements	NR	(See Note 21)	NR
ii) More than one floor building but not exceeding 15 m	R	R	R	R	R	R	R	R	Minimum 240 min fire fighting requirements	50000	(See Note 21)	900

R- Required
NR - Note Required

NOTES:-

- 1 MOEFA System shall also include talk-back system and public address system for the occupancies given in the table for (d) (i) (iii) under A-5, (a) (i) (iv) and (a) (2) under C-1, and (a) (2) under D-1 to D-5, in all buildings 15 m and above in height, except for A-3 and A-4 occupancies where these shall be provided for buildings of height 24 m and above. These shall also be provided in car parking areas more than 300 sqm and in multi-level car parking
- 2 Automatic detection and alarm system is not required to be provided in car parking area. Such detection system shall however be required in other areas of car parking such as electrical rooms, cabins and other areas.
- 3 Buildings above 15 m in height are not to be permitted for occupancies A-1 and A-2.
- 4 Required to be installed in basement, if area of basement exceeds 200 sqm.
- 5 Required to be provided if basement area exceeds 200 sqm.
- 6 Additional value given in parenthesis shall be added if basement area exceeds 200 sqm
- 7 Required to be provided for buildings with more than two storeys (Ground + One).
- 8 Required to be provided for buildings with height above 15 m and above.
- 9 Sprinklers shall be fed water from both underground static water storage tank and terrace tank.
- 10 Provide required number of sets of pumps each consisting of one electric and one diesel pump (stand by) of capacity 2 280 litre/min and one electric pump of capacity 180 litre/min (see also notes 22 and 23).
- 11 Provide required number of sets of pumps each consisting of two electric and one diesel pump (stand by) of capacity 2 280 litre/min and two electric pump of capacity 180 litre/min (see also Notes 22 and 23).
- 12 Provide required number of sets of pumps each consisting of two electric and one diesel pump (stand by) of capacity 2 850 litre/min and two electric pump of capacity 180 litre/min (see also Notes 22 and 23).
- 13 Lower levels in high rise buildings 60 m or above in height are likely to experience high pressure and therefore, it is recommended to consider multi-stage, multi-outlet pumps (creating pressure zones) or variable frequency drive pumps or any other equivalent arrangement.
- 14 Provide required number of sets of pumps each consisting of one electric and one diesel pump (stand by) of capacity 1 620 litre/min and one electric pump of capacity 180 litre/min (see also Notes 22 and 23).
- 15 Required to be provided for buildings with more than one storey.
- 16 Buildings above 30 m in height not to be permitted for Group B, Group C, Group D and Group F occupancies.
- 17 The requirements given in this table for Group G Industrial Buildings are for small scale industry units. For other industries the requirements will have to be worked out on the basis of relevant Indian Standards and also in consultation with the local fire authorities
- 18 Buildings above 18 m in height not to be permitted for G-1 and G-2 occupancies.
- 19 Buildings above 15 m in height not to be permitted for G-3 occupancies.
- 20 Buildings above 15 m in height not to be permitted for Group H and Group J occupancies. However, buildings above 15 m in height shall not be permitted for multi-level car parking (MLCP) occupancy.
- 21 Pump capacity shall be based on the covered area of the building.
- 22 One set of pumps shall be provided for each 100 hydrants or part thereof, with a maximum of two sets. In case of more than one pump set installation, both pump sets shall be interconnected at their delivery headers.
- 23 Alternative to provisions of additional set of pumps, the objective can be met by providing additional diesel pump of the same capacity and doubling the water tank capacity as required for one set of pumps
- 24 As per the requirement of local authority dry riser may be used in hilly areas, industrial areas or as required.